संख्या-13/2026/001-271(1)/1811767/12-2099/84/2024

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 01-वेतन से मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–कृ0र0-2390/लेखा/पौध सं0/2025-26, दिनांक 05 मार्च, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के अन्तर्गत मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रू0 11394.59 लाख के सापेक्ष हो रही बचत रू0 172.12 लाख से अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में धनराशि रूपये 172.12 लाख (रूपये एक करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
6. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,72,12,000.00 (रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक** 2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा **मानक मद** 49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-13/2026/001-271(2)/1811767/12-2099/84/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1 (बी0ण्म0-9 तीन प्रतियों में), उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20252026-271 1811767 12-2099 84 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	01 (वेतन)	1,13,94,59,000 रुपये एक अरब तेरह करोड़ चौरानवे लाख उनसठ हजार मात्र	3,74,80,000 रुपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र	-1,73,12,000 रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख बारह हजार मात्र	172.12000	- 112224700	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	49 (चिकित्सा व्यय)	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	1,72,12,000 रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार मात्र	172.12000	- 20712000	2025-2026
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	0.00	100000	2025-2026

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है।

अ- वास्तविक मांग के आधार पर कार्मिकों के पद रिक्त होने के कारण मानक मद 01-वेतन से बचत है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है।

ब- मानक मद 49-चिकित्सा व्यय एवं 49-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में वास्तविक मांग अधिक होने के फलस्वरूप आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है। संख्या- वाउटे-1-548 दि० 18 मार्च 2026

संख्या: आर ई-<२>-2025-26, दिनांक- मार्च, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

Ranjana

(डा0 रंजना दुबे)

अनु सचिव।

Digitally signed by RAHUL KUMAR
Date: 18-03-2026 16:27:07

(राहुल कुमार)

अनु सचिव।

संख्या : 271 1811767 12-2099 84 2024 दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।

3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Ranjana

(डा0 रंजना दुबे)

अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।